

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड), कुण्डा, प्रतापगढ़।

मूलवाद संख्या-३०२/२००५
रामसखा बनाम रामहेतु पाण्डेय

दिनांक-२३.०३.२०२६

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष विगत तिथियों से न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहे हैं। उभयपक्ष को उपस्थिति हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये उसके बावजूद वह न्यायालय में उपस्थित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें प्रस्तुत वाद में कोई रुचि नहीं रह गयी है। ऐसे में हस्तगत वाद लम्बित रखे जाने का वैधानिक औचित्य समाप्त हो चुका है। अतः प्रस्तुत वाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(आकृति गौतम)
सिविल जज (प्रवर खण्ड)
कुण्डा, प्रतापगढ़।